आज दिनांक 22.05.18 को 11:00 बजे पूर्वाहन् में डॉ0 रणजीत कुमार सिंह (भा0प्र0से0), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव सं0–1 :– जानकी स्टेडियम, डुमरा के पश्चिम तरफ शंकर चौक से पशुपालन मोड़ तक एवं शंकर चौक से पूरब तरफ स्टेडियम के लिये मार्केट कम्पलेक्स बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें दूकान के भू–तल में वाहन पार्किंग की सुविधा तथा नीचले तल एवं उपरी तल पर दूकान बनाया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि स्टेडियम परिसर स्थित क्रिकेट मैदान के चारो तरफ कॉवर नाला एवं मैदान को सुरक्षित करने हेतु कटिला तार से बारकेटिंग करने, समतलीकरण करने तथा परिसर में दो चापाकल गड़वाने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूरब तरफ की खुले चाहारदिवारी को यथाशीघ्र बंद करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को निदेशित किया गया। स्टेडियम के सौदर्यीकरण के दृष्टिकोण से स्टेडियम परिसर के इण्डोर हॉल के पश्चिम तरफ से एक भी0आई0पी0 स्टैण्ड एवं महिला कॉलेज से एन0एच0–77 की तरफ जानेवाली सड़क के मोड़ को कम करने एवं मैदान के चौड़ीकरण के दृष्टिकोण से चाहारदिवारी को पश्चिम तरफ पशुपालन विभाग के खाली पड़े जमीन की तरफ बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पूर्व से बने दर्शक दीर्घा के पीछे कमरा बनवाने का भी निर्णय लिया गया ताकि भविष्य में खिलाड़ियों के ठहरने आदि की सुविधा स्टेडियम परिसर में ही हो सके। स्टेडियम के चाहारदिवारी से सटे पेड़ लगाने हेतु एवं इण्डोर हॉल के परिसर के गार्डेन को रख–रखाव एवं पौधा, घास आदि लगाने हेतु जिला वन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निदेशित किया गया एवं इसके लिए इण्डोर हॉल के प्राक्कलन में निर्धारित राशि 30,000/–को उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–1 को दिया गया। उन्हें मार्केट कॉम्पलेक्स, भी0आई0पी0 स्टैण्ड, दर्शक दीर्घा के पीछे कमरा निर्माण, नाला निर्माण आदि कार्य का प्रक्कलन बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। दूकान आवंटन हेतु अलग से विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0–2:– सर्वसम्मति से इण्डोर हॉल के उपरी तल पर उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सीतामढ़ी–सह–सदस्य सचिव, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति का कार्यालय को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। जिनके पास इण्डोर हॉल एवं आउटडोर परिसर का चाभी सुरक्षित रहेगा। इसका अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सीतामढ़ी करेंगे।

प्रस्ताव सं0–3:– जानकी स्टेडियम, डुमरा के रख–रखाव एवं संचलानार्थ इण्डोर हॉल के उप समिति का बायलॉज निम्न प्रकार हैः–

नामः–1. यह संस्था जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति के अधीन होगा एवं इसका नाम स्पोर्ट्स क्लब होगा। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे जिला में होगा एवं इसका मुख्यालय जानकी स्टेडियम, डुमरा, सीतामढ़ी में होगा।

2. स्पोर्ट्स क्लब में संचालन हेतु एक उप समिति निम्नवत होगीः–
   1. **संरक्षकः–** जिला पदाधिकारी – पदेन
      सह–संरक्षकः– पुलिस अधीक्षक – पदेन
   2. **अध्यक्षः–**
   3. **सदस्यः–** सभी निबंधित खेल संघ के सचिव तथा वैसे दों खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता हो और दो वैसे खिलाड़ी जिनकी प्रतिभागिता अन्तराष्ट्रीय स्तर की हो। इस उप समिति के सदस्य होंगे। साथ ही वैसे N.I.S. योग्यताधारी दो प्रशिक्षक भी इस उप समिति के सदस्य होंगे, जिसमें महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी।
   4. **आजीवन सदस्यः**–समाज के सभी वर्गो से यथा खेल प्रेमी,डॉक्टर,इंजीनियर, शिक्षाविद्, जन प्रतिनिधि, ऑफिसर,व्यवसायी वर्ग एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस उप समिति के आजीवन सदस्य हो सकते है। उच्च काटि के आजीवन सदस्य के लिये

25000/– रूपया एवं सामान्य कोटि के आजीवन सदस्य के लिये 5000/– पॉच हजार रूपये तथा खिलाड़ियों के लिये आजीवन सदस्य 1000/– निर्धारित किया गया। इन्हीं सदस्यों के बीच से प्रत्येक एक साल पर अध्यक्ष का चुनाव होगा जो इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में सदस्य बनने हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति के नाम से विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित राशि जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति के नाम से चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन के साथ ही जमा करना होगा।

सुविधाः– 1. खिलाड़ियों एवं सदस्य निर्धारित समय तक ही इण्डोर हॉल का उपयोग कर सकेंगे तथा उन्हें अपना खेल उपस्कर के साथ आना होगा। निबंधित खिलाड़ी एवं सदस्य के लिए जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति द्वारा परिचय–पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके लिए 50 रूपये सभी निबंधित खिलाड़ी एवं सदस्यों को देना होगा।

2. उच्च कोटि के आजीवन सदस्य को पति/पत्नी एवं उनके दो बच्चों को निःशुल्क इण्डोर हॉल में खेलने की अनुमति दी जायेगी। आजीवन सदस्य को इण्डोर हॉल के उपयोग हेतु 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को 200/–रूपया प्रतिमाह एवं उससे अधिक उम्र के आम नागरिको के लिये 500/–रूपया प्रतिमाह देना होगा।

निर्देशः– 1. जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति की सभी शर्ते एवं नियम इस उप समिति के लिए भी मान्य होगा।

2. कम–से–कम 100 आजीवन सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया एवं इसके प्रचार प्रसार समाचार–पत्र के माध्यम, बैनर पोस्टर एवं हैण्ड पम्पलेट के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।

प्रस्ताव सं0–4ः– कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशानुसार खेल भवन–सह–व्यायामशाला भवन के लिये भूमि का चयन महिला कॉलेज के पश्चिम तरफ 160 फीट लंबा एवं 140 चौड़ा भूमि उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को निदेशित किया गया।

प्रस्ताव सं0–5ः– यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाये अथवा त्याग–पत्र देता हो एवं किसी भी कोर्ट द्वारा सजायाप्ता होने या मानसिक रूप से अस्वस्थ्य हो एवं जिनके विरूद्ध कोई कानुनी कार्रवाई होनी है अथवा लंबित है, सदस्य नहीं बन सकता है । कोई भी आजीवन सदस्य हो जिनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चल रहा हो या डिफॉल्टर होने की स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

नियम/शर्त/सुविधा एवं निर्देश समय–समय पर जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति करती रहेगी।

सभा अध्यक्ष के ज्ञापन के बाद सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष,
जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति,
सीतामढ़ी।

"D:\2018\general section's letter.docx"

ज्ञापांक......79......., दिनांक.....22-5-18.....

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक,सीतामढ़ी–सह–उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर/श्री श्याम किशोर प्रसाद, स्पोर्ट्स प्रोमोटर, सीतामढ़ी/ उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सीतामढ़ी–सह–सदस्य सचिव, जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानिय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–1, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी/अपर समाहर्त्ता,सीतामढ़ी/वनो के क्षेत्र पदाधिकारी,सीतामढ़ी/ जिला सूचना एवं जन सपंर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं सीतामढ़ी के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/5/18

जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष,
जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति,
सीतामढ़ी।

"D:\2018\general section's letter.docx"